न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 514/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
धन्नाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम गगाडी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– गेपरराम पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी माडियाई 2– शेराराम पुत्र सुरजाराम 3– भगाराम पुत्र मानाराम 4– गीता पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासीगण गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 5– नरसिहराम पुत्र किशनाराम जाति नाई 6– कालुराम पुत्र इन्दाराम जाति नाई निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 7– दीपाराम पुत्र नन्दराम 8– दुर्गाराम पुत्र नन्दराम 9– पेमाराम पुत्र सुखदेव जाति पालीवाल निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 10–भूरदास पुत्र चुन्नीलाल जाति साद 11–रूपदास पुत्र चुन्नीलाल जाति साद 12– पीराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट 13– मांगाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 14– रेवतराम पुत्र ताजाराम 15– धर्माराम पुत्र ताजाराम 16– हीराराम पुत्र कानाराम 17– भगवानाराम पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता आशी बेवा किशनाराम 18– आशी बेवा किशनाराम 19– नेना पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 20– मोहनलाल पुत्र नेनुराम जाति पालीवाल 21– रूगनाथराम पुत्र नरसिंगराम जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–1–2016 जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 06/2013 अनवान गेपरराम व अन्य बनाम धन्नाराम व अन्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (अपील संख्या 514/2017मे)

1– श्री महेश मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13 से 19 की ओर से।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

राजस्व अपील संख्या 528/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रेवतराम पुत्र ताजाराम 2– धर्माराम पुत्र ताजाराम 3– मांगाराम पुत्र किशनाराम 4– भगवानाराम पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता आशी 5– आसी पत्नी किशनाराम 6– नैना पत्नी किशनाराम 7– हीराराम पुत्र कानाराम सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम गगाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर		1– गेपरराम पुत्र डुंगरराम जाति मेघवाल निवासी माडियाई 2– शेराराम पुत्र सुरजाराम 3– भगाराम पुत्र मानाराम 4– गीता पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासीगण गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 5– धन्नाराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल निवासी लोहावट तहसील फलौदी, जिला जोधपुर 6– नरसिहराम पुत्र किशनाराम जाति नाई 7– कालुराम पुत्र इन्दाराम जाति नाई निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 8– दीपाराम पुत्र नन्दराम 9– दुर्गाराम पुत्र नन्दराम 10– पेमाराम पुत्र सुखदेव जाति पालीवाल निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 11–भूरदास पुत्र चुन्नीलाल जाति साद 12–रूपदास पुत्र चुन्नीलाल जाति साद 13– पीराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट 14– मांगाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी, जिला जोधपुर 14– मोहनलाल पुत्र नेनुराम जाति पालीवाल 15– रूगनाथराम पुत्र नरसिंगराम जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–1–2016 जो उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 06/2013 अनवान गेपरराम व अन्य बनाम धन्नाराम व अन्य मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (अपील संख्या 528/2017मे)

1– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।
3– श्री महेश मेहता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 10–11–2017

उक्त दोनो ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 13–1–2016 के विरूद्ध पृथक–पृथक पेश की है, उक्त दोनो ही अपीलों का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि खसरा नंबर 197 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा मौजा गगाडी तहसील ओसिया की सरहद मे आई हुई है तथा मौके पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है । खसरा नंबर 197 के और भी बट्टा नंबरो की भूमि है, जिसकी भी अलग–अलग तरमीम नही है लेकिन मूल खसरा नंबर 197 का आपसी विभाजन करने के बाद प्रार्थीगण के हिस्से मे भी अलग–अलग बट्टा नंबरो के रूप मे दर्ज हो गई है लेकिन उक्त खसरा नंबर 197 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा की उत्तर दिशा मे खसरा नंबर 194 व 196 की भूमि आई हुई है, जिसमे से कुछ भूमि संपरिवर्तितसुदा है तथा राजस्व रेकर्ड मे भी अलग–अलग खातो मे दर्ज है । लेकिन खसरा नंबर 194 व 196 के खातेदारान ने मिलकर प्रार्थीगण के भूमि के उत्तरी सीमा मे बिना किसी कारण के दखलअंदाजी करनी शुरू कर दी और मौके पर विद्यमान पौराणिक माठ को खुर्द बुर्द कर दिया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के आशय से तंग एवं परेशान करते रहते है इसलिए प्रार्थीगण मूल खसरा नंबर 197 एवं खसरा नंबर 194–196 के मध्य की सीमा का ज्ञान करवाना चाहता है, जिसमे किसी प्रकार की तरमीम की आवश्यकता नही है क्योकि यह खसरा नंबर सेटलमेंट से निर्धारित है इसलिए खसरा नंबर 197 की उत्तरी सीमा जो खसरा नंबर 194 व 196 से लगती है, पर पत्थरगढी करवाने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार तिवरी को ग्राम गगाडी के खसरा नंबर 197 व 194–196 के मध्य टीम गठित कर जांच कर सही सीमांकन अनुसार पत्थरगढी करवाने बाबत निर्देशित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये गये जवाब पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये जवाब मे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे लिखे गये तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया था कि खसरा नंबर 197 कुल 9 खसरो मे बंटा हुआ है जिसकी नक्शे मे खातेदारी के अनुसार तरमीम किये बिना सीमांकन कराया जाना संभव नही है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत

जवाब मे यह भी उल्लेख किया गया था कि खसरा नंबर 197 का बट्टा नंबरान के अनुसार मौके पर विभाजन एवं रकबे अनुसार नक्शे मे तरमीम कराये बिना खसरा नंबर 197 की पत्थरगढी नही हो सकती परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किये तहसीलदार को जांच कर सही सीमांकन अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे खसरा नंबर 197 के 9 बट्टा नंबर के खातेदारो को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना किसी ठोस सबूत एवं आधार के ही स्वीकार करने मे विधिक त्रुटि की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण क्लीन हेण्ड से सही तथ्यो छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 196 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 197/2 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा भूमि अपीलांट ने दिनांक 14–5–1979 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के खरीद की थी जिसके पडौस उत्तर मे दयाराम पुत्र बेनाराम मेघवाल, दक्षिण मे गगाडी से तिवरी जाने वाली सडक व गोरखाराम का खेत, पूर्व दिशा मे प्रभुराम पालीवाल व सिमरथराम सुथार का खेत तथा पश्चिम दिशा मे उदाराम पालीवाल का खेत दर्शाया हुआ है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 4 ने खसरा नंबर 197 की कुल 3 बिस्वा 5 बिस्वांशी भूमि जो प्रेमाराम, पूनाराम पुत्रान सुखराम से खरीद की थी परंतु उक्त जमीन को अपीलांट को पूर्व मे ही बेचान की जा चुकी थी तथा खसरा नंबर 197/2 से रेस्पो0 संख्या 4 का कोई लेना देना नही है लेकिन प्रेमाराम व पूनाराम ने पूर्व मे अपीलांट को बेची गई जमीन के जो पडौस लिखाये थे इसके स्थान पर खसरा नंबर 197 की जमीन को अपीलांट की जमीन के पडौस वर्णित कर जमीन का दुबारा बेचान कर दिये जाने पर एक मुकदमा अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर के न्यायालय मे विचारधीन है तथा कथन किया कि रेस्पो0 ने इन सभी तथ्यो को छुपाते हुए कथित गलत बेचाननामे की आड मे खसरा नंबर 197/2 व खसरा नंबर 196 की भूमि मे जबरन काबिज होने के आशय से अधीनस्थ न्यायालय मे प्राथ्रना पत्र पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 197 पूर्व मे मूल रकबा था उसके बाद खसरा नंबर 197 मे से तिवरी से जेलू गगाणी के बीच सडक

निकलने से खसरा नंबर 197 के उत्तर मे खसरा नंबर 197/1 सडक हो गया तथा खसरा नंबर 197 की शेष 10 बिस्वा भूमि जो सडक के उत्तर मे थी, वह भूमि खसरा नंबर 197/2 हो गई, खसरा नंबर 197 की भूमि रोड के दक्षिण मे ही है । जब तक खसरा नंबर 197 मे जो रोड के उत्तर मे मौजुद है, इस जमीन के खातेदार तरमीम करवा कर बंटवाडा नही करवा लेते तब तक खसरा नंबर 197/2 व खसरा नंबर 196 मे दखल करने का कोई अधिकार रेस्पो0 को नही है । रेस्पो0 संख्या 4 गलत व अवैद्य रूप से निष्पादित किये गये बेचाननामे के आधार पर अपीलांट की जमीन मे किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांटगण ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हम चार खातेदारान ने खसरा नंबर 197 मे हमारे खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उन्हे सुनकर, उनके जवाब आदि रेकर्ड पर पेश होने पर उनका अध्ययन कर तथा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब करने के बाद विधिवत रूप से सभी पक्षकारो की बहस एवं कथनो को निर्णय मे लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि हमने खसरा नंबर 197 की 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि मे से हमारे खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा उप तहसीलदार तिवरी से करवा लिया था तथा उक्त बंटवाडे के पीछे नक्शे मे तरमीम कर बट्टा नंबर पडे तथा उसके अनुरूप सभी सह खातेदार अपनी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है, उसके अनुरूप पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया तथा आवेदन पत्र के साथ उक्त खसरा नंबर 197 की सीमांकन बाबत दिनांक 3–6–2011 की सीमांकन मौका फर्द की छायाप्रति भी पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षो की सुनवाई के बाद ग्राम गगाडी के खसरा नंबर 197 व 194–196 के मध्य टीम गठित की जाकर सही सीमांकन अनुसार पत्थरगढी करवाने के आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा बहस के दौरान न्यायालय हाजा ने रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता से अपीलाधीन मूल खसरा नबर 197 का नक्शा ट्रेस तथा उक्त खसरा नंबर 197 की तरमीम के बाद पडे बट्टा नंबरो का तरमीमसुदा नक्शा की सत्यप्रति प्रस्तुत करने के निर्देशों के कम मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 1–11–2017 को फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत किये गये नक्शें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया ।,

अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर अपने खातेदारी एवं कब्जासुद मौजा गगाडी के खसरा नंबर 197 के बट्टा नंबरो की भूमि की तरमीम नही होने से मूल खसरा नंबर 197 का सही सीमांकन करवाया जाकर खसरा नंबर 197 एवं खसरा नंबर 194– 196 के मध्य की सीमा पर पत्थरगढी का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट है कि खसरा नंबर 197 एवं उसके पडे नये बट्टा नंबरो की सीमाज्ञान बाबत जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ पेश की है, वह दिनांक 3–6–2011 की पुरानी रिपोर्ट है तथा उक्त रिपोर्ट मे भी मौके पर कब्जे को लेकर विवाद होना तथा सीमांकन टीम गठित कर सीमांकन करवाने का उल्लेख किया हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार तिवरी को ग्राम गगाडी के खसरा नंबर 197 एवं 194–196 के मध्य टीम गठित की जाकर सही सीमांकन अनुसार पत्थरगढी करने का सीधा आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे फार्म नंबर 3 के सलग्न जो नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट है कि खसरा नंबर 197 रकबा 1.06 बीघा के लगते पडौसी खसरा नंबरान के सभी खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है, जो विधिसम्मत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–1–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नंबर 197 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि के लगते अन्य खसरा नंबरान के सभी खातेदारो को पक्षकारान बनाते हुए उनकी उपस्थिति मे पहले अपीलाधीन खसरा नंबर 197 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि का सीमाज्ञान

कराया जाये, सीमाज्ञान रिपोर्ट मे विवाद होने की स्थिति मे उभयपक्षो को सुनवाई के बाद अपीलाधीन भूमि पर पत्थरगढी बाबत नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर